

कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी

पत्रांक: 249 / निविदा / नि0अनु0 / जि0पं0 / 2020-21 दिनांक 8/11/2020

ई-निविदा सूचना

जिला पंचायत, अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदार / अन्य समस्त राजकीय विभागों में वर्ष 2020-21 में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को जिन्हें निर्माण कार्य कराये जाने का अनुभव हो तथा जो वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत में पंजीकृत हो को सूचित किया जाता है कि 15वां वित्त आयोग अनुदान (टाइड), के अन्तर्गत शासन से प्राप्त होने वाले धनराशि से निर्माण कार्य कराये जाने हेतु 01 परियोजना की ई-निविदा निम्नलिखित तिथियों में <http://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं:-

अपलोड करने की तिथि व समय	अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खुलने की तिथि व समय
दिनांक- 22.01.2021 समय अपराह्न 02:30 बजे से	दिनांक- 29.01.2021 समय अपराह्न 02:30 बजे तक	दिनांक-29.01.2021 समय अपराह्न 03:00 बजे से

उक्त निर्माण कार्य के सापेक्ष शर्तों की विस्तृत जानकारी <http://www.cszp.uppr.gov.in/home> या कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अभियंता
जिला पंचायत, अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमेठी

शिव काली
अध्यक्ष
जिला पंचायत, अमेठी

पृष्ठांकन सं० 249 (1/16) / निविदा / नि0अनु0 / जि0पं0 / 2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी।
2. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, अमेठी।
3. नाजिर विकास भवन, कलेक्ट्रेट, पी0डब्लू0डी0 / जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ की उक्त ई-टेण्डरिंग सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चरपा कराये।
4. जिला पंचायत, अमेठी की राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना <http://amethi.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जनपद अमेठी को सादर सूचनार्थ।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान खेती' दैनिक समाचार पत्र..... को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को कम से कम स्थान एवं अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु आदेश की प्रति सहित प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमेठी

कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी

पत्रांक: 279 / निविदा / जि0पं0 / 2020-21

दिनांक 8/1/2020

ई-निविदा सूचना

जिला पंचायत, अमेठी के पंजीकृत ठेकेदारों / अन्य समस्त राजकीय विभागों में वर्ष 2020-21 में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को सूचित किया जाता है कि कि 15वां वित्त आयोग अनुदान (टाइड), के अन्तर्गत शासन से प्राप्त होने वाले धनराशि निर्माण कार्य कराये जाने हेतु 01परियोजना की ई- निविदा दिनांक 22.01.2021 को अपराह्न 02:30 बजे तक <http://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं। सभी निविदा एवं शर्तें दिनांक 22.01.2021 से अपराह्न 02:30 बजे से दिनांक 29.01.2021 को अपराह्न 02:30 बजे तक <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेगी। जहां इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त तिथियों व समय में ही ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित निविदा जो ऑनलाइन <http://etender.up.nic.in> पर ही सबमिट की जायेगी तथा दिनांक 29.01.2021 को अपराह्न 03:00 बजे ई-टेण्डर खोला जायेगा। निर्माण कार्यों के सापेक्ष शर्तों की विस्तृत जानकारी <http://www.cszp.uppr.gov.in/home> या कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 स0	योजना का नाम	विकास खण्ड	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	अनुमनित लागत	धरोहर धनराशि (रूपया में)	निविदा फार्म मूल्य (रूपया में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	15वां वित्त आयोग (टाइड)	मुसाफिरखाना	ग्रामसभा रंजीतपुर मेन रोड से अजय नाई के घर से अशोक शर्मा के घर तक कबर्ड नाली निर्माण	नाली निर्माण	2266212	45324	2538	3 माह

नोट:-

- कार्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात ही किया जायेगा।
- शासन स्तर से सम्बन्धित योजनान्तर्गत समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत/आदेश के विपरीत यदि कोई परियोजना प्रकाश में आती है, तो वह तत्काल नियमानुसार संशोधित/ निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा सूचना में अंकित कोई परियोजना यदि किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व निर्मित/ प्रस्तावित/ निर्माणाधीन अथवा स्वीकृत कर ली गई है, तो वह तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- शासन से तकनीकी स्वीकृति व निर्धारित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान आदि की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त गुणवत्तापूर्ण पाये जाने की दशा में भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
- भूतत्व खनिखर्म विभाग एवं कर्मकार उपकर विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वर्तमान में अथवा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार से कटौती की जायेगी।
- किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अर्नह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- जिला पंचायत निर्माण नियमावली-1984 के अनुसार किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार जिला पंचायत, अमेठी में निहित होगा।
- पंजीकृत ठेकेदार को पंजीयन/नवीनीकरण की प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
- समस्त निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा को स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की विस्तृत जानकारी अभियंता जिला पंचायत के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

अभियंता
जिला पंचायत, अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमेठी

शिव कली
अध्यक्ष
जिला पंचायत, अमेठी

पृष्ठांकन सं० / निविदा / नि०अनु० / जि०पं० / 2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मा० अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी।

2. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, अमेठी।
3. नाजिर विकास भवन, कलेक्ट्रेट, पीओडब्लू0डी0 / जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ की उक्त ई-टेण्डरिंग सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
4. जिला पंचायत, अमेठी की राजकीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना <http://amethi.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जनपद अमेठी को सादर सूचनार्थ।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र **दिव्यस्तार (वे.ओ.क्यास्तार)** व दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को कम से कम स्थान एवं अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु आदेश की प्रति सहित प्रस्तुत कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमेठी